

**अनुदान संख्या 67 - पंचायती राज मंत्रालय**  
**GRANT No. 67-MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	3825,73,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1825,94,72

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2515'' अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes			
मू.	O.	6350.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	609.28	6960.28	6957.80 -2.48
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	750.00		
पु.	R.	-750.00	..	.. ..
मुख्य शीर्ष '3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	375000.00		
पु.	R.	-182500.00	192500.00	192500.00 ..

(I) 750.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष '2552' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष '3601' - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज - पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान" के अंतर्गत 182500.00 लाख रु. की बचत (375000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.07 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (499.50 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष '2515' - "पंचायती राज - संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों से सहायताप्राप्त परियोजनाएं" के अंतर्गत दिसंबर, 2006 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.00 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष '2515' - "पंचायती राज - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 163.34 लाख रु. का अधिक व्यय (5050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष '2552' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.750.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" - Other Expenditure - Provision of Projects/Schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Other Rural Development Programme - Panchayati Raj - Grants for Backward Regions" - saving of Rs.182500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.375000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to availability of unspent balance of previous years.

(III) Under one head saving of Rs.59.07 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.499.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2006 under Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Projects Assisted by U.N. Agencies". Actual excess, however, was Rs.499.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Rashtriya Gram Swaraj Yojana" - excess of Rs.163.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5050.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.